परिपत्र संख्या– 07/2014

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक एफ.7(39)जन/2013/पार्ट–।। 10378 दिनांकः 17.10.2014

परिपत्र

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधनों के संबंध में।

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 39, 44, 51 एवं 53 में शास्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इन धाराओं तथा धारा 55 में दर्ज प्रकरणों में दिनांक 14.7.2014 से शास्ति की गणना निम्नानुसार होगीः–

   दस्तावेज के अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित रहने की अवधि के लिए कमी मुद्रांक राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या स्टाम्प शुल्क में कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो लेकिन जो स्टाम्प शुल्क के दोगुने से अधिक नहीं हो।
2. इसी प्रकार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 72 में संशोधन कर ब्याज की दर एवं उसकी गणना से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। धारा 72 के दिनांक 14.7.2014 से संशोधित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन adjudication, appeal, revision या अन्यथा किसी कार्यवाही में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति से स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि वसूलनीय है तो ऐसी कुल राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से वसूल करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से ब्याज वसूलनीय है।

   इसी प्रकार इस अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश के तहत किसी व्यक्ति से शास्ति की कोई राशि वसूलनीय है तो ऐसी शास्ति की राशि पर कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश की दिनांक से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से ब्याज वसूलनीय है।
3. दिनांक 13.7.2014 तक निर्णीत हो चुके प्रकरणों को मात्र शास्ति एवं ब्याज के प्रावधानों में दिनांक 14.7.2014 से हुए संशोधन के कारण पुनः नहीं खोला जावे। दिनांक 13.7.2014 तक पारित निर्णय ही वृत अधिकारियों (कलक्टर, मुद्रांक) के स्तर पर अंतिम निर्णय है।
4. दिनांक 13.7.2014 अथवा उससे पूर्व निर्णीत प्रकरणों में आरोपित वसूलनीय मांग राशि को जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए निर्णय की तिथि से मांग राशि जमा होने की तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज वसूलनीय है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी, शास्ति एवं ब्याज की गणना निम्न प्रकार से की जावेगी :–

1. **राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1988 की धारा 35 के तहत अधिनिर्णय (adjudication) के लिए दर्ज प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व ब्याज की गणना –**

धारा 35 के तहत कोई व्यक्ति कलक्टर (मुद्रांक) के कार्यालय में निर्धारित फीस जमा करवाकर निष्पादित दस्तावेज पर या दस्तावेज के प्रारूप पर देय स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी प्राप्त कर सकता है। धारा 35 के तहत दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में धारा 35 एवं धारा 36 के सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा उस पर स्टाम्प ड्यूटी व ब्याज की गणना निम्नानुसार की जावेगी:–

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**

(i) दस्तावेज का प्रारूप (अनिष्पादित दस्तावेज) अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होने पर सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज प्रस्तुत करने की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

(ii) निष्पादित दस्तावेज अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होने पर–

(a) यदि दस्तावेज राज्य में निष्पादित हुआ है और एक माह की अवधि में अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

(b) यदि दस्तावेज राज्य में निष्पादित हुआ है और एक माह की अवधि के पश्चात् अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

(c) यदि दस्तावेज राज्य से बाहर निष्पादित हुआ है और तीन माह की अवधि में अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

(d) यदि दस्तावेज राज्य से बाहर निष्पादित हुआ है और तीन माह की अवधि के पश्चात् अधिनिर्णय के लिए प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना–** कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 35 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

स्पष्टीकरण– धारा 35 के तहत चूंकि पक्षकारों द्वारा स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत कर उस स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण की प्रार्थना की जाती है अतः इस धारा के तहत दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में शास्ति का प्रावधान नहीं है।

2. **धारा 37 में दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एवं शास्ति की गणना–** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 37 के तहत कलक्टर (मुद्रांक) स्वयं या साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या

किसी लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई दस्तावेज प्रस्तुत होता है या आता है और उसकी राय में ऐसा दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित नहीं है तो वह ऐसे दस्तावेज को जब्त कर लेगा।

साक्ष्य ग्रहण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या किसी लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जब्त दस्तावेज को क्रमशः धारा 42 की उपधारा (1) व (2) के प्रावधानों के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) को रेफर किया जाता है।

धारा 37 के तहत स्वयं कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा जब्त दस्तावेजों एवं धारा 42 के अनुसार उसको रैफर किये गये दस्तावेजों पर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 44 के तहत स्टाम्प ड्यूटी एवं पैनल्टी का निर्धारण किया जाता है।

धारा 44 के अधीन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी एवं पैनल्टी को पक्षकार द्वारा जमा कराये जाने पर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 46 के तहत उस दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**–सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 44 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. **शास्ति की गणना**–धारा 44 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

3. **धारा 39 में साक्ष्य में ग्राह्य कराने के लिए न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एवं शास्ति की गणना**–

धारा 39 में प्रावधान है कि साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी (न्यायालय अधिकरण या आर्बिट्रेटर) या लोक प्राधिकारी अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करेगा, ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई कार्यवाही (act upon) नहीं करेगा, पंजीकृत नहीं करेगा और न ही सत्यापित करेगा।

इस सामान्य नियम का अपवाद है कि यदि दस्तावेज का पक्षकार उस दस्तावेज पर कमी मुद्रांक राशि एवं उस पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो, शास्ति की राशि का भुगतान कर दे तो ऐसे दस्तावेज को न्यायालय अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है। इसके पश्चात् न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा उसके द्वारा ली गई कमी मुद्रांक राशि व शास्ति की राशि सहित दस्तावेज की सत्यापित प्रति धारा 42 के तहत कलक्टर (मुद्रांक) को रैफर की जाती है।

धारा 39 के अधीन स्टाम्प ड्यूटी एवं पैनल्टी को पक्षकार द्वारा जमा कराये जाने पर न्यायालय, अधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा धारा 46 के तहत उस दस्तावेज पर पृष्ठांकन द्वारा पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**–सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– धारा 44 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चकवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. **शास्ति की गणना**–धारा 44 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

4. **धारा 45 के तहत दर्ज प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व ब्याज की गणना**– धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई दस्तावेज जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय हो, पक्षकार द्वारा स्वयं उसके निष्पादन की दिनांक से एक वर्ष के भीतर कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत कर उस दस्तावेज पर देय उचित स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी कलक्टर (मुद्रांक) को देता है और उस कमी मुद्रांक राशि को जमा करने की इच्छा प्रकट करता है और कलक्टर (मुद्रांक) इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पक्षकार किसी दुर्घटना, भूल या आपात आवश्यकतावश (urgent necessity) के कारण उस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकित नहीं करवा पाया था, तो कलक्टर (मुद्रांक) ऐसे प्रकरण में धारा 37 एवं 44 के अनुसार कार्यवाही न कर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान पर धारा 46 के तहत पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र जारी करता है।

धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन की दिनांक से एक वर्ष पश्चात् इस धारा के तहत कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**

(i) यदि दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से एक माह की अवधि में कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

(ii) यदि दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से एक माह की अवधि के पश्चात् कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत होता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा धारा 45 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चकवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

स्पष्टीकरण– धारा 45 के तहत चूंकि पक्षकार द्वारा स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत कर उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी को ज़मा कराने का प्रस्ताव करता है अतः इस धारा के तहत दर्ज मुद्रांक प्रकरणों में शास्ति का प्रावधान नहीं है।

5. **धारा 51 के तहत दर्ज प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एवं शास्ति की गणना–** धारा 51 के तहत उन दस्तावेजों के संबंध में मुद्रांक प्रकरण दर्ज किये जाते हैं जहां सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार *(ad valorem)* स्टाम्प ड्यूटी देय हो और सम्पत्ति का मूल्यांकन कम (under valuation) किया गया हो।

इस धारा के तहत मुद्रांक प्रकरण उप पंजीयक द्वारा या साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किये गये रेफरेन्स के आधार पर या स्वयं कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा लिये गये संज्ञान पर दर्ज किये जा सकते हैं।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**–सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– धारा 51 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चकवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. **शास्ति की गणना**–धारा 51 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

6. **धारा 53 के तहत दर्ज प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एवं शास्ति की गणना–** धारा 53 के तहत उन दस्तावेजों के संबंध में मुद्रांक प्रकरण दर्ज किये जाते हैं जहां दस्तावेज का सही वर्गीकरण नहीं किया गया हो।

इस धारा के तहत मुद्रांक प्रकरण उप पंजीयक द्वारा या साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किये गये रेफरेन्स के आधार पर या स्वयं कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा लिये गये संज्ञान पर दर्ज किये जा सकते हैं।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**–सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– धारा 53 के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चकवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. **शास्ति की गणना**–धारा 53 के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

7. **धारा 55 के तहत दर्ज प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज एवं शास्ति की गणना–** धारा 55 के तहत उन दस्तावेजों के संबंध में मुद्रांक प्रकरण दर्ज किये जाते हैं जहां दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य हो लेकिन स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना करने के आशय से दस्तावेज का पंजीयन नहीं कराया गया हो।

इस धारा के तहत मुद्रांक प्रकरण उप पंजीयक द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये रेफरेन्स के आधार पर या स्वयं कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा लिये गये संज्ञान पर दर्ज किये जा सकते हैं।

धारा 55 के तहत दर्ज प्रकरणों में कार्यवाही यदि सम्पत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है तो धारा 51 के अनुसार और यदि दस्तावेज का वर्गीकरण सही नहीं किया गया है तो धारा 53 के अनुसार की जाती है।

I. **स्टाम्प ड्यूटी की गणना**–सम्पत्ति का मूल्यांकन दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक को प्रभावी बाजार दरों से किया जाकर प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी की गणना की जावेगी।

II. **ब्याज की गणना**– धारा 51 या 53 जैसी भी स्थिति हो, के तहत निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि में से पूर्व में दस्तावेज पर भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज की राशि घटाने पर शेष राशि पर दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना की जावेगी।

III. **शास्ति की गणना**–धारा 51 या 53 जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत निर्धारित कमी स्टाम्प ड्यूटी या सरचार्ज की राशि पर निष्पादन की दिनांक से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से या ऐसी कमी राशि का 25 प्रतिशत, इनमे से जो भी अधिक हो किन्तु कमी राशि के दोगुने से अधिक नहीं हो।

17.10.2014

(एल.एन. सोनी)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2013/पार्ट–।। 10379-10964 दिनांक 17/10/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है --

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।

10. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **www.igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर / जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक / निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

17/10/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर